

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11 / 39 / 2021	2021 / 160	08.10.2021	20.08.2024

- 1.फतेहराम पुत्र श्री थानाराम जाति माली,
- 2.हुकुचंद पुत्र श्री नन्दलाल जाति माली,
- 3.कैलाश पुत्र श्री हरलाल जाति माली निवासी भैंसवाडावत तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

- 1.इलियास पुत्र श्री ईमरत जाति मेव,
- 2.समसू पुत्र श्री टुण्डल जाति मेव,
- 3.अशरफ पुत्र श्री जगदेव जाति मेव,
- 4.रूजदार पुत्र श्री लीला जाति मेव,
- 5.रसीद पुत्र श्री हसना जाति मेव,
- 6.मकसूदन पत्नी श्री धोका खां जाति मेव,
- 7.रफीक पुत्र श्री मुंशी खां जाति मेव, निवासीयान भैंसडावत, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
- 8.भू आवंटन सलाहकार समिति जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।
- 9.भजन पुत्र श्री छज्जू जाति माली निवासी भैंसडावत तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोंडेन्ट्स

—तरतीबी रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार गोविन्दगढ दिनांक 12.12.2012 इंतकाल सं. 1177 जिसके द्वारा अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 की खरीदशुदा आराजीयात का इंतकाल सं. 1177 गलत तरीके से रेस्पोंडेंट सं. 8 ने रेस्पोंडेंट सं. 1 ला. 7 के हक में दर्ज वो मंजूर किया है, बमुराद मंसूखी उक्त आज्ञा व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांटान।

उपस्थित:—

- 01.कु0 सुषमा शर्मा
- 02.चौधरी सरदार खां

—वकील अपीलाण्ट्स

—वकील रेस्पोंडेंट्स


—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध आज्ञा नायब तहसीलदार गोविन्दगढ दिनांक 12.12.2012 इंतकाल सं. 1177 से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि आज्ञा दिनांक 12.12.2012 की कोई जानकारी अपीलांटान व तरतीबी

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज0)

रेस्पोंडेंट सं. 9 को नहीं थी। दिनांक 04.02.2013 को रेस्पोंडेंट सं. 1 ला. 7 द्वारा हम अपीलांतान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 की आराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की व खड़ी फसल गेहूं को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने ऐतराज किया व गाँव के लोगों को इकट्ठा किया तो रेस्पोंडेंट सं. 1 ला. 7 ने बताया कि उन्होंने इस जमीन का आवंटन करा लिया है व सनद लेकर इंतकाल भी चढ़वा लिया है। इस पर दिनांक 04.02.2013 को आवंटन सनद पट्टा व इन्तकाल की जानकारी हुई दिनांक 05.02.2013 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 05.02.2013 को मिली। वकील साहब से सलाह मशवरा किया तथा पैसों का इंतजाम कर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही हैं। ऐतिहात के तौर पर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि आराजी ख.नं. 108 रकबा 0.12, 109 रकबा 0.18, 110 रकबा 0.16, 111 रकबा 0.13 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर का 1/2 हिस्सा हम अपीलांतान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 का खरीदशुदा है जिस पर अपीलांतान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। रेस्पोंडेंट द्वारा गलत तरीके से हमारी खरीदशुदा आराजी का आवंटन व सनद पट्टा हासिल किया गया है जिसकी अपील भी अपीलांतान ने पेश कर दी है। असल रेस्पोंडेंट का कभी कब्जा नहीं रहा। उसके बावजूद भी इंतकाल सं. 1177 असल रेस्पोंडेंट के हक में दर्ज वो मंजूर किया गया। जिस आदेश के खिलाफ यह अपील निम्न वजूहात के साथ पेश की जा रही है। आराजी ख.नं. 108 रकबा 12 बिस्वा, 109 रकबा 18 बिस्वा, 110 रकबा 16 बिस्वा, 111 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर में स्थित है जिस आराजी में से 1/2 हिस्सा हजारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह की गैर खातेदारी की आराजी थी तथा 1/2 हिस्सा साधुसिंह व शेरसिंह पुत्रान लालसिंह व रिछपाल कौर व अमरजीत कौर पुत्रियाँ लालसिंह की खातेदारी का था। वर्तमान अपील में हजारासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह गैर खातेदार का 1/2 हिस्सा विवादित है। हजारासिंह के 2 पुत्र व 4 पुत्रियाँ हैं जो क्रमशः बक्शीसिंह व भागसिंह पुत्रान हजारासिंह तथा वीरोकौर, राजकौर, हरबंशकौर व ईकबाल कौर पुत्रियाँ हजारासिंह हैं। हजारासिंह के देहावसान के बाद उसके सभी वारिसान बक्शीसिंह, भागसिंह, वीरो कौर, राज कौर, हरबंश कौर, ईकबाल वगैरा द्वारा दीगर आराजीयात सहित आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 108 रकबा 12 बिस्वा, 109 रकबा 18 बिस्वा, 110 रकबा 16 बिस्वा, 111 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत के 1/2 हिस्से का बेचान जसवीर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह निवासी भैंसड़ावत को मुबलिग 3,00,000/- रुपये में बेचान कर दी तथा कब्जा भी जसवीर सिंह को सम्हलवा दिया। जिस बेचान के संबंध में एक ईकरारनामा बक्शीसिंह, भागसिंह, वीरोकौर, राजकौर, हरबंशकौर, ईकबाल कौर द्वारा जसवीर सिंह के हक में तहरीर किया गया।

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

आराजी मुतनाजा ख.नं., 109, 110, 111 में अपीलांटाव तरतीबी रेखाहेक ने साधूसिंह व शेरसिंह का 1/2 हिस्सा खरीद कर लिया था उक्त खसरा नम्बरों का छोटे टुकड़े होने के कारण जसवीर सिंह को काशत करने में परेशानी होती थी तथा जसवीर सिंह को पैसों की आवश्यकता थी इस कारण जसवीरसिंह ने उक्त आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 108, 109, 110, 111 कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा 19 विस्वा वाके ग्राम भैंसड़ावत का 1/2 हिस्से का बेचान दिनांक 26.03.2012 को हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 के हक में मुबलिंग 6,00,000/- रुपये शब्देन छः लाख रुपये में कर दिया तथा कब्जा भी हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 को सम्हलवा दिया। जिस संबंध में जसवीरसिंह द्वारा एक ईकरारनामा बैय दिनांक 26.03.2012 को अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 के हक में तहरीर किया गया जिस पर हरबंश कौर व नरेन्द्र कौर के भी अंगूठे कराये गये थे। इस प्रकार अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोंडेंट सं. 9 खरीद के आधार पर आराजी मुतनाजा पर शांतिपूर्वक काबिज है। असल रेस्पोंडेंटान का आराजी मुतनाजा पर कभी कब्जा नहीं रहा, ना ही आराजी मुतनाजा से रेस्पोंडेंटान का कोई वास्ता रहा है ऐसी सिथति में रेस्पोंडेंटान के हक में किया गया आवंटन व जारी सनद पट्टा विधि विरुद्ध था। पटवारी द्वारा कब्जे की रिपोर्ट भी गलत की गई है। असल रेस्पोंडेंट सं. 1 ला. 7 का कभी कब्जा नहीं रहा। बिना कब्जे के असल रेस्पोंडेंट सं. 1 ला. 7 के हक में इंतकाल गलत तरीके से दर्ज वो मंजूर किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। बाकी उज्ज वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत की आज्ञा दिनांक 12.12.2012 इंतकाल सं. 1177 की आज्ञा निरस्त की जाकर अपील अपीलांटान स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर की जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेंट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोंडेंट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, सीधे बहस करना चाहते हैं।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपील में अंकित तथ्य एवं बहस का मिलान किया गया। रिकॉर्डानुसार नामान्तरण मुताबिक आदेश प्रक्रिया के तहत स्वीकार हुआ है। नामान्तरण जारी करने में विधिक प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं किया है। नामान्तरण जारी करने एवं निर्णित करने में किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटि नहीं पाई जाती है। निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्त सारहीन हाने से खारिज किए जाने योग्य है।

आतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(पी० आर० मीना)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
(द्वितीय) अलवर (राज)